

UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT)  
ACT, 1970

(U. P. Act No. 21 of 1970)

[\*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Akasmikta Nidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 1970.]

AN

ACT

U.P. Act XIX of 1950. further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1970.

Short title.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950—

(i) *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

Amendment of section 4 of U. P. Act XIX of 1950.

“(3) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1970, withdraw a further sum of four crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund” ;

(ii) in the marginal heading *after* the words “and a further sum of two crores of rupees” the words “and another sum of four crores of rupees” shall be *inserted*.

[\*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated May 2, 1970.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 4, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 15, 1970.)

[Received the Assent of the Governor on June 3, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated June 6, 1970.]

Price 05 Paise.

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15 मई, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 3 जून, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जून, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रतर संशोधन करने के लिये  
अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में:—

(1) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात्:—

“(3) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार 4 करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।”;

(2) पाश्र्वशीर्षक में शब्द 'और 2 करोड़ रुपये' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में शब्द 'तथा 4 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायें।

संक्षिप्त नाम  
उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 19,  
1950 की धारा  
4 का संशोधन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये]